# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 84 / 2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025 / 309

प्रार्थी

रामलाल पुत्र कोजा, जाति–बिश्नोई

निवासी–बड़सम, तहसील–सांचौर

अप्रार्थीगण

माना पुत्र कोजा वगैरह

## प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

**तारीख रजु :– 18.02.2025**

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार पुरोहित उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सोहनलाल नैण उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 व 4 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 06.05.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा कुड़ा, पटवार हल्का–सरनाउ के खेत खसरा नंबर 131 रकबा 3.28 हैक्टेयर भूमि में 1/4 हिस्सा भूमि मुझ प्रार्थी का तथा 3/4 हिस्सा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की पुश्तैनी एवं कब्जा काश्तसुदा की आई हुई है। नकल जमाबंदी वाद पत्र में साथ पेश है। मौजा कुड़ा में स्थित उपरोक्त भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी उपरोक्त खसरा नंबर आराजी का संवत् 2060 में आपसी सहमति से एक मौखिक पारिवारिक एवं भाईयों के बंटवाड़ा के अनुसार प्रत्येक का हिस्सा मौके पर अलग कर माठे कायम कर मुझ प्रार्थी ने अपने 1/4 हिस्से पर कब्जा काश्त प्राप्त कर लया जो सलंग्न नक्शा 'अ' में प्रदर्श लाल रंग की भूमि जो बंटवाड़ा संवत् 2060 के अनुसार प्रार्थी के बंट में आई आराजी का प्रार्थी को बंटवाड़ा घोषित करवाने का अधिकार है। मौके पर हमारे बंटवाड़ा किया हुआ है लेकिन अब मेरे एवं अप्रार्थी के मधुर संबंध नहीं होने से हमारे आपस में हमेशा माठो बाबत भी विवाद होता रहता है तथा राजस्व रेकर्ड में खाता शामलाती है इस कारण हमें उपरोक्त खेतों बाबत लोन वगैरह लेने तथा अन्य कार्यवाही करते समय एक दुसरे खातेदार की जरूरत रहती है लेकिन प्रार्थी व अप्रार्थी के आपस में मन मुटाव होने से मुझ प्रार्थी को हमेशा परेशानियां रहती है। अतः दावा बाबत् बंटवाड़े का पेश है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि वांके सरहद मौजा कुड़ा पटवार हल्का सरनाउ के खेत खसरा नंबर 131 रकबा 3.28 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के 1/4 हिस्सा भूमि में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमावें की प्रार्थी के बंट व

**सहायक कलेक्टर, सांचौर**
**(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)**

Scanned with CamScanner

हिस्से की आराजी में न तो अप्रार्थीगण स्वयं न अन्य किसी से दखलंदाजी करावें तथा ताफैसला मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आधारहीन, तथ्यहीन, निराधार, मिथ्या व अप्रार्थी को तंग एवं परेशान करने के लिए पेश किया है। अतः उक्त प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें।

हमनें अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

**:– आदेश :–**

अतः उभयपक्षकारान् के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा–कुड़ा, पटवार हल्का–सरनाउ के खसरा नंबर 131 रकबा 3.28 हैक्टेयर भूमि पर उभयपक्षकारान् राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

**सहायक कलेक्टर, सांचौर**
**(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)**

निर्णय आज दिनांक **06.05.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

**सहायक कलेक्टर, सांचौर**
**(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)**

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
जिला जालोर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
जिला जालोर

Scanned with CamScanner